संख्या- 129/2015/558/22-4-15-22/99

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक-24 जून, 2015**

विषय- प्रदेश की कारागारों में निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहनों के क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-15540/नजारत-4/60/वा0का0/2015, दिनांक 05.05.2015 एवं पत्र संख्या-18635/नजारत-4/60/वा0का0/2015, दिनांक 01.06.2015 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश की कारागारों में निष्प्रयोज्य 04 नग वाहनों के स्थान पर 02 नग अर्टिगा पेट्रोल वीएक्सआई वाहन हेतु रू0 13,04,164/- तथा 02 नग ईको एम्बुलेन्स वाहन हेतु रू0 7,67,489/- इस प्रकार कुल 04 नये वाहनों को क्रय किये जाने हेतु रू0 20,71,653/-(रूपया बीस लाख इकहत्तर हजार छः सौ तिरपन मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) वाहनों का क्रय डी0जी0एस0एन0डी0 की दरों पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों/निर्देशों विशेष रूप से नये वाहनों के क्रय विषयक परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 12.11.86 एवं शासनादेश दिनांक 11.8.89 के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार/डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा मोटर वाहनों की कीमत/दरों में किसी आदेश द्वारा कमी या संशोधन किया जाता है तो तद्नुसार कम संशोधित दरों के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान करने हेतु धनराशि आहरित की जायेगी।

(3) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) प्रश्नगत वाहनों का क्रय समस्त सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा एवं क्रय सम्बन्धी समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त शर्तों का अनुपालन महानिरीक्षक कारागार एवं कारागार मुख्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे और इन शर्तों में किसी प्रकार के विचलन के वे उत्तरदायी होंगे।

(6) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी वाहन का प्रतिस्थापन एक से अधिक बार न हो।

(7) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस कार्यक्रम/योजना/सेवा के अन्तर्गत वाहन क्रय किया गया था, वह विद्यमान है और उसके लिए वाहन की आवश्कता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) निष्प्रयोज्य वाहनों का अधिकतम 03 माह की अवधि में निस्तारण कर धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी और उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(9) वाहनों के क्रय के बाद यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(10) उक्त वाहनों का क्रय 31.07.2015 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2056-जेलें-101-समस्त कारागार आयोजनेत्तर-03-मुख्य-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकार/मोटरगाड़ियों का क्रय" मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-3-1499/दस-2010-100(4)ब0मै0-टी0सी0-II, दिनांक- 21 जून, 2010 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 129/2015/558(1)/22-4-2015-तददिनांक-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।